

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A

crim-I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

किसम मुकदमा शुष्मा नागर बनाम राजेश्वर उर्फ लक्ष्मणलाल शर्मा
 नं. 195/वाय/22 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-11-22	वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा <u>188 RT Act</u> के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री <u>राजेश्वर नागर</u> ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक <u>9-12-22</u> को पेश हो।	
28/11/22	पत्रावली तलब किये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ आज पेश हुई वकील वादी उपर ही वकील वादी ने वाद पत्र Not press किये जाने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र Not press किये जाने से इस पत्रावली अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से वाद पूरा खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	Not press 28-11-22 (वादी व गणेश)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

